Gram: University
E-mail:csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com

☎🖷: 91-(0)512-2580044
🖷: 91-(0)512-2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

दिनांकः 02/10/2021

पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा0प्रशा0/5415 /2021

सेवा में,

1. **समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी,**
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, परिसर।
2. **समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषयः अर्हता दिनांक 01.01.2022 के आधार पर विधान निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने, कोऑर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र संख्या– 1097/निर्वा0–29/2020–2021 दिनांक 25.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि अर्हता दिनांक 01.01.2022 के आधार पर विधान निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने, कोऑर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र संख्या– 1097/निर्वा0–29/2020–2021 दिनांक 25.10.2021 के संलग्न पत्र के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01.01.2022 के आधार पर विधान निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने, कोऑर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क की स्थापना करने/कराने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेंटर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नक सहित विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियत्रंक।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

Prashasan-2018

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर।

सरसैया घाट चौराहा, सिविल लाइन्स, कानपुर 208001
ईमेल-adeo-kap@nic.in, 0512-2306568

संख्या-[illegible]/निर्वा0-29/2020-2021 दिनांक 25-10-2021

सेवा में,

कुलपति,
छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय,
कानपुर नगर।

विषयः अर्हता दिनॉक 01-01-2022 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने, कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-1305/सीईओ-4-24/4-2021 दिनॉक 21-10-2021 (छाया प्रति संलग्न है) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 का आलेख्य प्रकाशन दिनॉक 01-11-2021 को किया जाना है। दावे और आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि दिनॉक 01-11-2021 से 30-11-2021 तक निर्धारित है जिसमें सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान दिया जाय, इस हेतु नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रभावी रणनीति उपलब्ध कराते हुए विभिन्न बिन्दुओं द्वारा निर्देश दिये गये है।

उक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में युवा मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाना है।

1- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता **रजिस्ट्रेशन हेतु एक कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क की स्थापना करायी जाय** तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें।

2- संस्थानों में नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह संबंधित से सम्पर्क कर सकें।

3- राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान् होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाय।

4- प्रत्येक कालेज के एक कक्ष में **वोटर रजिस्ट्रेशन केन्द्र** स्थापित किया जाय।

5- मतदाताओं को जागरूक करने हेतु फैकल्टीवार (संकायवार) कैम्पस अम्बेसडर बनाये जायें जो छात्र/छात्राओं को जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु संस्थान में स्थापित हेल्पडेस्क पर फार्म ज़मा कराने में सहयोग करेंगे। इन कैम्पस अम्बेस्डर का नाम व मोबाइल नम्बर सहित सूची भी उपलब्ध करायी जाये।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 में दावे/आपत्तियों के सम्बन्ध में पात्रता एवं प्रारूपों का विवरण निम्नवत् है।

क- इस पुनरीक्षण में वह व्यक्ति जो दिनॉक 01-01-2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के पात्र है। इसके लिये उन्हें फार्म-6 भरना होगा जिसमें एक फोटो भी चिपकानी होगी ताकि शीघ्रातिशीघ्र उन्हें निःशुल्क मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

ख- फार्म-7 मतदाता सूची में पहले से शामिल किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति करने या उसे अपमार्जित करने के लिये निर्धारित है।

ग- यदि मतदाता सूची में मुद्रित किसी मतदाता का कोई विवरण अशुद्ध है तो उसके लिए फार्म-8 भरकर शुद्ध कराया जा सकता है।

घ- फार्म-8ए एक ही निर्वाचन क्षेत्र में स्थान के परिवर्तित कराने के लिये है।

क्रमशः....2 पर

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर

सरसैया घाट ..., सिविल लाइन्स, कानपुर 208001

ईमेल-adeo-kap@nic.in, ☎ 0512-2306568

संख्या– 1017 /निर्वा0–29/2020–2021 दिनांकः 25-10-2021

2– अर्हता दिनॉक 01–01–2022 के आधार पर कराये जाने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दिनॉक 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक के लिए जनपद के सभी पोलिंग स्टेशनों, तहसील कार्यालय, मतदाता सेवा केन्द्रो एवं जिला निर्वाचन कार्यालय पर मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी जिसे देखा जा सकता है। निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने आदि से सम्बन्धित फार्म भी प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त फार्मों को पदाभिहित स्थानों, बीएलओ एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय मे जमा किये जा सकते है। **साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त सभी फार्म एवं मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in/ पर भी उपलब्ध है। साथ ही उक्त वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम

1–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन	: **दिनॉक 01 नवम्बर 2021 (सोमवार)**
2–दावे और आपत्तियॉं प्राप्त करने की अवधि	: **दिनॉक 01 नवम्बर 2021 (सोमवार) से दिनॉक 30 नवम्बर 2021 (मंगलवार)**
3–विशेष अभियान दिवस	: **दिनॉक 07 नवम्बर 2021 (रविवार)** : **दिनॉक 13 नवम्बर 2021 (शनिवार)** : **दिनॉक 21 नवम्बर 2021 (रविवार)** : **दिनॉक 28 नवम्बर 2021 (रविवार)**
4–फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	: **दिनॉक 05 जनवरी 2022 (बुधवार)**

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपनी संस्था में दिनॉक 01–01–2022 को 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के सभी छात्रों/छात्राओं को अवगत करा दें कि वह स्वयं तथा उनका परिवार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या शुद्ध कराने के इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में आपका पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा। साथ ही अनुरोध है कि आप द्वारा संस्थाओं में नियुक्त किये गये कोआर्डिनेटर एवं कैम्पस अम्बेसडर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, कानपुर नगर में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः उप्रोक्तानुसार।

भवदीय,

(विशाख जी.)

जिलाधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी,

कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण/ई–मेल/स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या 1305/सी0ई0ओ0–4–24/4–2021 लखनऊः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2022–नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति।**

महोदय/महोदया,

अवगत हैं कि आयोग के निदेशानुसार अर्हता तिथि 01–01–2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 01–11–2021 को किया जाना है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 30–11–2021 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अधिक से अधिक संख्यों में मतदाताओं के पंजीकरण के लिये निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः–

1. समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक **'कोआर्डिनेटर'** एवं **'हेल्पडेस्क'** की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जायेगा ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
2. संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह संबंधित से सम्पर्क कर सकें।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।
4. प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को **'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष'** के रूप में स्थापित किया जायेगा। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
5. अवगत हैं कि युवा मतदाता सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने में सहज रहते हैं, अतः वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा एनवीएसपी को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अर्ह मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके।
6. कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो

Scanned with CamScanner

पहचान पत्र बन गया है तथा अर्हता तिथि 01.01.2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है:-

A.

क0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	EPIC(मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0/आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में फार्म-7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नाम:
पता:
मोबाइल नं0.....................

7. दिनांक 01 नवम्बर 2021 को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाना है, अतः दिनांक 01 नवम्बर 2021 को जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया जिला मुख्यालय के किसी बड़े कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित करके मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करेगें। इसी प्रकार के कार्यक्रम तहसील स्तर पर, उप जिलाधिकारी द्वारा तथा बूथ स्तर पर बीएलओ द्वारा आयोजित किये जायेंगें और रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारम्भ कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कालेजों में भी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/सेक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु भेजा जायेगा।

8. समस्त राजकीय विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट आफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाए।

9. मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिये समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधियों/एसोशियेसन यथा व्यापार मण्डल, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उनके माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार कराया जाय।

10. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर, उनसे समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल एजेंट की तैनाती किए जाने का अनुरोध कर लिया जाय।

11. समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जायें।

12. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि जो दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक है, की अवधि में जिले के प्रमुख संस्थानों में अलग-अलग तिथियां निर्धारित

Scanned with CamScanner

करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित कराकर पात्र मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन करायें। इन कार्यक्रमों का स्वीप योजनान्तर्गत फोटो/वीडियो कवरेज कराया जाय तथा स्थानीय टीवी चैनलों एवं स्थानीय समाचार पत्रों/संस्करणों में इससे संबंधित कवरेज कराया जाय।

13.दिनांक 01 नवम्बर 2021 को कार्यक्रम के शुभारम्भ एवं अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया/फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कापियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी जायेगीं।

14.निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यह देखेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है।

15.दिनांक 01 नवम्बर, 2021 के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सेलेक्टिव फुटेज) जिले के फेसबुक एकाउन्ट पर अपलोड किये जायेंगें ताकि जन सामान्य भी उन्हें देख सकें।

16.जिला निर्वाचन अधिकारी प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ इसे भी जोड़ने का कष्ट करें और यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाय।

17.उल्लेखनीय है कि मतदाता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों हेतु स्वीप योजनान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या–030–11–3–2021–सीईओ–4 दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया जा चुका है।

18.इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 30.11.2021 तक है अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि सभी अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने सम्बन्धी कार्यवाहियां दिनांक 30.11.2021 तक कर लें ताकि सभी नये मतदाताओं को ससमय मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

19.जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम में शिथिलता न आने पाये।

4— यहां यह पुनः उल्लेख करना समीचीन होगा कि उपरोक्त कार्यवाहियां कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत बैठकों या जनता से सम्पर्क इत्यादि के विषय में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में सम्पन्न कराया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:1305(1)/सी0ई0ओ0–4–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)

Scanned with CamScanner